(CNR No-UPDEO 1000088-2025)
(J.O. Code- U P 6280)

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कक्ष संख्या–01,देवरिया

उपस्थित– छाया नैन, (एच0जे0एस0)

फौजदारी निगरानी संख्या– 03/2025

01– धनेश वउम्र 43 वर्ष पुत्र लालमनी,
02– सत्यप्रकाश वउम्र बालिग पुत्र धनेश,
03– सरस्वती देवी वउम्र बालिगा पत्नी रमेश,
04– महेश बालिग पुत्र स्व0 गोबर्धन,
निवासीगण मौजा पडरी झिल्लीपार थाना खुखुन्दू जिला देवरिया ।

......निगरानीकर्तागण

–प्रति–

01– उत्तर प्रदेश राज्य,
02– सर्वजीत कुमार पुत्र गब्बू लाल साकिन मौजा पडरी झिल्लीपार थाना खुखुन्दू जिला देवरिया ।

........................प्रतिपक्षीगण

नि र्ण य

01– प्रस्तुत फौजदारी निगरानी, निगरानीकर्तागण द्वारा, न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील सलेमपुर, थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया के न्यायालय मे संस्थित वाद संख्या–5736/2022, कम्पयूटरीकृत वाद सं0–टी–202205200205736, सर्वजीत –बनाम– धनेश आदि, अन्तर्गत धारा–133 दं0प्र0 सं0 में अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांकित–30–12–2024 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत की गई है।

02– संक्षेप मे निगरानी के तथ्य इस प्रकार है कि प्रतिपक्षी संख्या–2/ मूल वाद के वादी सर्वजीत द्वारा उप–जिलाधिकारी, तहसील सलेमपुर, थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया के न्यायालय में निगरानीकर्तागण/मूलवाद के प्रतिपक्षीगण धनेश आदि के विरूद्ध एक प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा– 133 दं0प्र0सं0 प्रस्तुत किया था, जिसपर मूलवाद के प्रतिपक्षी द्वारा अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर, अधीनस्थ न्यायालय ने उभय पक्षों के साक्ष्य व उभय पक्षों को सुनकर दिनॉक–30–12–2024 को यह आदेश पारित किया है कि ''सशर्त आदेश दिनाक 01.02 2019 पुष्ट किया है एवं थानाध्यक्ष खुखुन्दू जनपद देवरिया को निर्देशित किया है कि वे विवादित सार्वजनिक रास्ते से द्वितीय पक्ष द्वारा किये गये अतिक्रमण को हटाकर आवागमन सुनिश्चित करें। कृत कार्यवाही की सूचना 15 दिवस के अन्दर इस न्यायालय को प्रस्तुत करें। आदेश की एक प्रति थानाध्यक्ष खुखुन्दू को अनुपालन हेतु भेजी जाय।'', जिससे क्षुब्ध होकर निगरानीकर्तागण द्वारा प्रस्तुत निगरानी प्रस्तुत की गयी है।

.................2/–

03– संक्षेप में निगरानी का आधार यह है कि अधीनस्थ न्यायालय का आलोच्य आदेश दिनांक 30–12–24 पूर्णतया अवैधानिक है अतएव निरस्त किये जाने योग्य है। उप जिला मजिस्ट्रेट सलेमपुर जनपद देवरिया का प्रश्नमत निर्णय दिनोंक–30–12–24 वास्तविकता विधान एवं तथ्यों तथा वर्तमान मामले की परिस्थितियों से पूर्णतया असंगत है तथा मौके के सर्वथा विपरीत है। अतएव निरस्त किये जाने योग्य है। उप जिला मजिस्ट्रेट सलेमपुर जनपद देवरिया प्रश्नगत निर्णय दिनांक 30–12–24 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य के पूर्णतया प्रतिकूल है, मनमाना है तथा किसी ठोस आधार व सबूत पर पारित नहीं किया गया है न आधारित है बल्कि प्रश्नगत आदेश सरसरी तौर पर यन्त्रवत विना विधिक मस्तिक के प्रयोग किये पारित किया गया है जो पूर्णतया अवैधानिक है अतएवं निरस्त किये जाने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण में लोक उपताल अनर्तनेलित नहीं है और बिना अभिमत दिए कि सार्वजनिक मार्ग को अंवरुद्ध किया गया है किसके द्वारा अवरुद्ध किया गया है क्या–क्या वस्तुए या अशयाय उसमें स्थित है, कब से स्थित है किन किन्न लोगो का सार्वजनिक रास्ता रुका है उसका कोई नक्शा या वस्तुओंध्अशयायो बाँ उल्लेख न करते हुए प्रश्नगत आदेश मनमाने तौर पर पारित कर दिया गया है जो विधि विरुद्ध है निरस्त होने योग्य है। प्रस्तुत मामले को स्पष्ट करने की नियत से जो प्रार्थना पत्र सर्वजीत कुमार पुत्र गब्बूलाल निवासी ग्राम पडरी झिल्लीपार थाना खुखुन्दू जिला देवरिया द्वारा दिनांक 12–11–2018 माननीय जिलाधिकारी महोदय देवरिया को प्रस्तुत व सम्बोधित है उसका अवलोकन आवश्यक एवं समीचीन है जिसमे सर्वजीत कुमार ने यह अभिकथन किया है कि मेरा रास्ता चारो तरफ से बन्द कर दिया है अतः श्रीमान से निवेदन है कि मेरा रोड (रास्ता) किसी भी और से खुलवाने का कष्ट करे । सर्वजीत के इसी प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही प्रारम्भ हुई है। इस प्रार्थना पत्र में सार्वजनिक मार्ग का न तो कोई उल्लेख है न तो उक्त प्रार्थना पत्र ग्रामीणों द्वारा दिया गया है। यह प्रार्थना पत्र अकेले सर्वजीत ने प्रस्तुत किया है जिससे यह स्पष्ट है कि मात्र धोवी होने केकारण यह प्रार्थना पत्र अपने अल्टेरिया डिजाइनम को पूरा करने के मकसद से प्रस्तुत है और सर्वजीत वेजा तरीके से इस मामले को लोक उपताप की श्रेणी में लाना चाहते है जबकि हरगिज उक्त प्रकरण सार्वजनिक रास्ते या लोक उपताप का नहीं है और न सर्वजीत के इस प्रार्थना पत्र के आधार पर कोई कार्यवाही ही सम्भव है सम्पूर्ण कार्यवाही आधार होन औचित्य हींनव बेबुनियाद है अतएव निरस्त होने योग्य है। प्रस्तुत प्रकरण के सम्बन्ध में निगरानीकर्तागण के तरफ से पूर्व में आदेश दिनांक 11–10–2019

..................3/–

से व्यथित होकर निगरानीकर्तागण द्वारा दांडिक निगरानी सं. 159/2019 योजित की गयी थी, जिसमें माननीय निगरानी न्यायालय के द्वारा जो अभिमत व्यक्त किया गया था कि जिस मार्ग के वावत मुकदमा दाखिल किया गया है वह कत्तई सार्वजनिक मार्ग नहीं है। सार्वजनिक मार्ग न होने के कारण प्रस्तुत प्रकरण में लोक उपताप का कोई मामला अंर्तगवेलित नहीं है । इसलिए प्रस्तुत प्रकरण में द प्र.सं. की धारा 133 आर्कषित नहीं होती है तौर पर सार्वजनिक उपताप का मामला प्रस्तुत प्रकरण में आयत नहीं होता है। इस ग्राम सभा पडरी झिल्ली पार परगना सलेमपुर मझौली तहसील सलेमपुर जिला देवरिया के नक्शे में भी विवादित भूमि रास्ते के रूप में दर्ज नहीं है। इससे भी यह स्पष्ट है कि कोई सार्वजनिक रास्ता हरगिज अतिक्रमण नहीं हुआ है। उसी रास्ते के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी सर्वजीत के पिता गब्बू लाल द्वारा सिविल जज (जू.डि.) के न्यायालय में वाद सं. 2096 /2019 योजित किया गया है उसमें विवादित कथित र रास्ते नहीं अधिकथित किया गया है बल्कि विवादित सम्पति बताया गया है। विवादित तथाकथितू रास्ता सार्वजानिक उपयोग की भूमि है, डीह में रास्ते के रूप में दर्ज है, इसका कोई उल्लेख नक्शे में नही है, इस सम्बन्ध में अधीनस्थ न्यायालय ने कोई अभिमत नहीं दिया है इससे भी यह स्पष्ट होता है कि सार्वजनिक रास्ता नहीं है। जिन जिन साक्षियों ने न्यायालय में शपथ पत्र प्रस्तुत किया था उन सभी लोगो को न साक्ष्य हेतु बुलाया गया न उन्हें परीक्षित करने का अवसर दिया गया बल्कि उक्त मामले के प्रथम पक्ष की तरफ से भी मात्र जितेन्द्र का बयान हुआ है। तथा कुछ शपथकर्ताओं का वयान हुआ है। द्वितीय पक्ष के तरफ से किसी भी साक्षी को मौखिक साक्ष्य हेतु न तो आहूत किया गया न मौखिक साक्ष्य का अवसर प्रदान किया गया इस प्रकरण में पूर्व निगरानी के आदेश में जो यह अभिमत न्यायालय द्वारा दिया गया था उसके अनुसार द्वितीय पक्ष को साक्ष्य का कोई अवसर नहीं दिया गया है इस प्रकार सारी कार्यवाही में 138 अ.द.सं.की वाधा है। राजस्व निरीक्षक के द्वारा न तो स्पष्ट मार्ग अवरुद्ध किये जाने के सम्बन्ध में कोई नक्शा ही बनाया गया है न रास्ते को रोकने वाली किसी वाधा को दर्शित किया गया है। इसके साथ ही साथ राजस्व निरीक्षक ने आ.सं. 160 व आ.नं. 161 के चारो सीमाओं का वजस्ते नाप तौल करके चारो भुजाओं की नाप ही दर्शित किया है यह अवश्य अंकित किया है कि आ.नं. 160 में कोई रास्ता नहीं है इसको तय करने के लिए गाटा सं. 161 का सम्पूर्ण विवरण व् रास्ते को स्पष्ट दिखाया जाना अनिवार्य है जो हरगिज न करके राजस्व निरीक्षक ने भारी भूल किया है और इस तौर पर राजस्व निरीक्षक की रिपोर्ट को आधार

.................4/—

मानकर विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट ने प्रश्नगत आदेश पारित करके विधि एवं विधान की भारी भूल किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही अत्यंत चपल तरीके से पूरी की गयी है और उसमे legislative के Intent व Object का कोई ध्यान नहीं रखा गया है। इस कारण भी प्रश्नगत आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। जितेन्द्र कुमार बनाम सुरेश आदि के धारा 133 के बाद सं. 26/2012 में दिनांक 03–07–13 को माननीय उप जिला मजिस्ट्रेट सलेमपुर द्वारा प्रथम पक्ष को सार्वजनिक मार्ग पहले से ही दिया गया है फिर दुसरे सार्वजनिक मार्ग की मांग करना सरासर वेमानी है इस आधार पर भी उप जिला मजिस्ट्रेट का आदेश निरस्त किये जाने योग्य है। निगरानीकर्ता की निगरानी हर दशा में स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः निगरानीकर्ता ने निगरानी स्वीकार करने तथा अधीनस्थ न्यायालय का आदेश व निर्णय दिनॉक–30–12–2024 सव्यय निरस्त करने का निवेदन किया है।

04– प्रतिपक्षी संया– 2 की ओर से उपरोक्त निगरानी के विरूद्ध आपत्ति दिनॉकित 18–01–2025 प्रस्तुत करते हुए कथन किया है कि उपरोक्त निगरानी तथ्य एवं विधि के प्राविधानों के प्रतिकूल होने के कारण पोषणीय नही है। उपरोक्त निगरानी में अधीन न्यायालय उपजिला मजिस्ट्रेट सलेमपुर, जिला देवरिया द्वारा पारित आदेश एवं निर्णय दिनांक 30.12.2024 मामले के तथ्य एवं विधि के प्राविधानों के अनुरूप पारित किया गया है। आदेश दिनांक 30.12. 2024 पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्य और तथ्यों के आधार पर विधि के अनुरूप सोच समझकर पारित किया गया है। निगरानीकर्ता का यह कथन कि प्रस्तुत मामले में अधीन न्यायालय के समक्ष लोक उपताप का मामला नही था और जो सार्वजनिक मार्ग अवरूद्ध किया गया है नक्शा में रास्ता नहीं दर्ज है वह अवरोध किन–किन चीजों से किया गया है इसका उल्लेख नहीं हुआ है निराधार है बल्कि पत्रावली पर इस प्रकार के तथ्य मौजूद है कि उपरोक्त रास्ता सार्वजनिक उपयोग के रूप में प्रयोग होता है। निगरानीकर्ता द्वारा किया गया यह कथन कि प्रार्थना–पत्र में सार्वजनिक शब्द नहीं है जो प्रार्थना–पत्र प्रार्थी प्रत्युत्तर द्वारा दिनांक 12.11.2018 को जिलाधिकारी देवरिया को दिया गया था। गाँव के किसी व्यक्ति द्वारा अपने विचार से दिये गये प्रार्थना–पत्र के भाव को देखा जायेगा और पत्रावली पर मौजूद सम्पूर्ण प्रपत्रों के आधार पर निष्कर्ष निकाला जायेगा। निगरानीकर्ता द्वारा कही गयी यह बात मात्र धोबी होने के कारण सर्वजीत द्वारा मामले को लोक उपताप में लाया गया है। बल्कि धोबी और छोटी जाति का होने के कारण उसको सार्वजनिक मार्ग पर चलने के अधिकार से वंचित

..................5/–

नहीं किया जा सकता है। यह सही है कि अधीन न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 11.10. 2019 को मार्ग के उक्त अवधि को हटाने के लिए आदेश किया गया था जिसके सम्बन्ध में निगरानीकर्ता द्वारा एक निगरानी सं0—159/2019 प्रस्तुत की गयी थी जो दिनांक 15.07.2022 को इस आधार पर स्वीकार करके अवर न्यायालय को पुनः द०प्र०सं० की धारा—137,138 एवं निगरानी में दिये गये से प्रेक्षण के सम्बन्ध में उभय पक्ष से पुनः साक्ष्य लेकर सुनवाई का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि अनुसार आदेश पारित करने हेतु पक्षों को दिनांक 30.07.2022 को अवर न्यायालय में उपस्थित होने का आदेश पारित किया गया। ग्रामसभा पड़ी झिल्लीपार परगना सलेमपुर मझौली, तहसील—सलेमपुर, जिला—देवरिया के नक्शे में भी विवादित भूमि रास्ते के रूप में नहीं दर्ज है यह सर्वथा गलत है। बल्कि सत्य यह है कि विवादित रास्ता डीह के नम्बर 161 मि० रकबा 2.088 आबादी श्रेणी 6(2) की भूमि में स्थित है और इस सम्बन्ध में पूर्व के निगरानी न्यायालय के आदेश दिनांक 15.07.2022 के अनुपालन में धारा—137,138 द०प्र०सं० के प्राविधानों का पालन करते हुए आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की कोई विधिक आवश्यकता नहीं है।अदालत मातहत में दिनांक 30.07.2022 से लेकर दिनांक 13.11. 2024 तक निगरानीकर्तागण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत किया गया बल्कि दिनांक 13.11. 2024 को इस आशय का प्रार्थना—पत्र दिया गया कि दीवानी न्यायालय में अभी निर्णय नही पारित हुआ है ऐसी दशा में पब्लिक न्यूसेंश का मामला न होने के कारण वाद की कार्यवाही ड्राप की जाय। इस सम्बन्ध में आदेश दिनांक 30.12.2024 में स्पष्ट उल्लिखित है कि आबादी श्रेणी 6 की गाटा सं0—161 में वह सार्वजनिक रास्ता स्थित है और दीवानी वाद गाटा सं0—160 रकबा 0.24 हे० भूमिधरी की आराजी के सम्बन्ध में है जिससे सार्वजनिक रास्ते का कोई सम्बन्ध नही है इससे स्पष्ट हो जाता है कि किसी भी प्रकार से निगरानीकर्तागण द्वारा मामले की कार्यवाही को उलझाकर अतिक्रमण बनाये रखने का प्रयास किया जाता था जिसके सम्बन्ध में अवर न्यायालय द्वारा राजस्व निरीक्षक से मौके की रिपोर्ट मांगी गयी और राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 08.10.2024 में विवादित सार्वजनिक रास्ता डीह की भूमि 161 मि० रकबा 2.088 में होने की बात दर्ज है। आ०सं०—160 रकबा 0.24 हे० में सार्वजनिक रास्ता नहीं है और सार्वजनिक रास का उपयोग पक्षगण के अलावे आमजन करते है जो वर्तमान में अवरूद्ध है तथा मौके पर अन्य ग्रामीणों एवं निगरानीकर्तागण के परिवार के कु० रागिनी द्वारा भी हस्ताक्षर बनाया गया है जिस पर उन्होने अपनी असंतुष्टि अंकित किया है परन्तु उसके बाद भी

..................6/—

निगरानीकर्तागण द्वारा न्यायालय में कोई साक्ष्य नहीं प्रस्तुत किया गया। इस प्रकार भी भी आदेश दिनांक 30.12.2024 में में हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं है। इसके पूर्व दिनांक 29.06.03 को निगरानी कर्ता के पिता एवं चन्द्रशेखर के बीज सुलहनामा हुआ था जिसमें आम रास्ता बात लिखि गई है। राजस्व निरीक्षक द्वारा तैयार किये गये स्पाट मेमो के अनुसार थानाध्यक्ष खुखुन्दू की आख्या सही होने के कारण और दीवानी वाद में सार्वजनिक रास्ते के सम्बन्धित गाटा सं0–161 का कोई सम्बन्ध न होने के कारण कार्यवाही स्थगित करने के प्रार्थना–पत्र को निरस्त करते हुए थानाध्यक्ष खुखुन्दू की आख्या दिनांक 08.01.2019 एवं राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनांक 08.10.2024 एवं पत्रावली पर उपलब्ध गवाहों के बयान के आधार पर सशर्त आदेश दिनांक 01.02.2019 को पुष्ट करते हुए आदेश पारित किया गया है। उपरोक्त आधारों पर यह स्पष्ट हो जाता है कि सिविल से सम्बन्धित मामले में विवादित सार्वजनिक रास्ता के गाटा सं0–161 का कोई सम्बन्ध न होने के कारण और निगरानीकर्ता द्वारा यह किया गया कथन कि उसको पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करने का समय न दिया जाना मात्र एक बहाना है जबकि निगरानीकर्तागण को अवर न्यायालय द्वारा पर्याप्त अवसर दिया गया था। प्रार्थी प्रत्युत्तरदाता तथा अन्य लोगों को परेशान करने के लिए सार्वजनिक मार्ग के बगल में अपने भूमिधरी की आ०सं०–160 स्थित होने का लाभ लेते हुए ईंट व टीनशेड रखकर अवरोध उत्पन्न किया गया था और अवर न्यायालय द्वारा विधि अनुसार सारी विधि की औपचारिकताओं को पूरा करते हुए एक तार्किक आदेश पारित किया गया है जिसमें हस्तक्षेप की आवश्यकता नही है। अतः आपत्तिकर्ता ने आपत्ति स्वीकार करते हुए निगरानी निरस्त करने का निवेदन किया है।

05– राज्य की ओर से विद्वान अपर जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा तर्क प्रस्तुत कर यह कहा गया है कि प्रश्नगत आदेश, विद्वान अधीनस्थ/उप–जिला मजिस्ट्रेट, सलेमपुर के न्यायालय द्वारा पूर्णतया विधि के अनुरूप है, जो अपने क्षेत्राधिकार के तहत संबंधित मामले में पत्रावली पर उपलब्ध थाने व पुलिस अधीक्षक की आख्या एवं अभिलेखीय साक्ष्यों पर विचार किये जाने के पश्चात् विद्वान अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित किया गया है, जिसमें किसी प्रकार की विधिक त्रुटि नही है, और न ही उसमें किसी हस्तक्षेप की आवश्यकता है। उक्त आधार पर निगरानी को निरस्त किये जाने योग्य बताया गया है।

06– निगरानीकर्तागण द्वारा अपने कथनो के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप

.................7/–

में कागज संख्या– 5ख/1 ता 5ख/6 निर्णय न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील सलेमपुर, थाना खुखुन्दू जिला देवरिया दिनॉक–30–12–2024 की सत्यप्रति व दाण्डिक निगरानी संख्या– 153/ 2019 धनेश व अन्य बनाम उ0 प्र0 राज्य व अन्य थाना खुखुन्दू, जिला देवरिया मे पारित आदेश दिनॉक–15–07–2022 की सत्यापित प्रति कागज संख्या–5ख/8 ता 5ख/10, वाद संख्या– 00662/2019 सर्वजीत बनाम धनेश आदि मे दाखिल प्रार्थना पत्र दिनॉकित–12–11–2018 की सत्यप्रति कागज संख्या– 6ख/5, वाद संख्या–00662/2019 सर्वजीत बनाम धनेश आदि मे श्री जितेन्द्र कुमार पुत्र बाबूलाल प्रसाद के द्वारा अंकित कराये गये बयान की सत्यप्रति कागज संख्या– 5ख/12, वाद संख्या–1737/2018, धनेश बनाम चन्द्रशेखर के अर्जीदावा की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/13 ता 5ख/17, वाद संख्या– 1737/2018, धनेश बनाम चन्द्रशेखर मे पारित इम्तनाई आदेश दिनॉक–23–08–2018 की सत्यप्रति कागज संख्या– 5ख/18, 5ख/19, चलानी रिपार्ट की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/20 ता 5ख/21, वाद संख्या–26/2012, जितेन्द्र कुमार बनाम सुरेश आदि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सलेमपुर में दाखिल नक्शा नजरी अन्तर्गत धारा 133 दं0प्र0सं0 की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/22, वाद संख्या–26/2012, जितेन्द्र कुमार बनाम सुरेश आदि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सलेमपुर मे पारित आदेश दिनॉकत–03–07–2013 की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/23, वाद संख्या–26/2012, जितेन्द्र कुमार बनाम सुरेश आदि न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट, सलेमपुर द्वारा पारित आदेश अन्तर्गत धारा–133(1) दं0प्र0सं0 की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/24, छायाप्रति लेखपाल रिपोर्ट मय मेमो नक्शा नजरी दिनांक–08–10–2024 की छायाप्रति कागज संख्या–5ख/25 ता 5ख/28, थाना खुखुन्दू की रिपोर्ट की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/29 नक्शा नजरी की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/30, वाद संख्या–1737/2018, धनेश बनाम चन्द्रशेखर मे पारित इम्तनाई आदेश दिनॉक–23–08–2018 के सत्यप्रति की छायाप्रति कागज संख्या–5ख/31 ता 5ख/32, खतौनी की छायाप्रति कागज संख्या–5ख/33, खसरा की सत्यप्रति कागज संख्या–5ख/37 दाखिल किया गया है।

07– प्रतपक्षी संख्या–2 की ओर से अपने कथनों के समर्थन मे दस्तावेजी साक्ष्य के रूप मे कोई प्रपत्र दाखिल नहीं किया गया है।

08– निगरानीकर्तागण व प्रतिउत्तरदता संख्या–2 मय विद्वान अधिवक्ता उपस्थित। प्रतिपक्षी संख्या–1 के तरफ से विद्वान सहायक जिला शासीकय अधिवक्ता

..................8/–

फौजदारी उपस्थित है।

09— सुना। पत्रावली मे उपलब्ध प्रपत्रों, व संबंधित अवर न्यायालय से तलबशुदा पत्रावली मे उपलब्ध सामग्री का परिशीलन किया ।

—:—<u>निष्कर्ष</u>—:—

10— इस न्यायालय द्वारा निगरानी के अन्तर्गत अवर न्यायालय द्वारा पारित प्रश्नगत आदेश की शुद्धता, वैधता व उसके औचित्य के बारे मे तथा उसमे की गई कार्यवाही की अनियमितता के बारे मे समाधान करने के पश्चात निष्कर्ष दिया जाना है।

11— वर्तमान निगरानी, निगरानीकर्ता द्वारा वाद संख्या—5736/2022 मे विद्वान अवर न्यायालय उप जिला मजिस्ट्रेट सलेमपुर द्वारा पारित आदेश दिनॉकित—30—12—2024 के विरूद्ध योजित की गयी है। आदेश दिनॉकित—30—12—2024 के द्वारा विद्वान अवर न्यायालय ने पूर्व पारित आदेश दिनॉकित 01—02—2019 को पुष्ट करते हुए निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा सार्वजनिक रास्ते मे किए गये अतिक्रमण को हटाकर आवागमन सुनिश्चित करने हेतु थानाध्यक्ष खुखुन्दू जनपद देवरिया को आदेश पारित किया गया है।

12— वर्तमान प्रकरण आवेदक सर्वजीत पुत्र गब्बू द्वारा प्रेषित प्रार्थना पत्र 08—01—2019 पर प्रारम्भ हुआ जिसमे आवेदक ने निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष धनेश पर सार्वजनिक रास्ते मे जबरजस्ती कटरैन व पुआल रखकर अवरूद्ध करने का आरोप लगाते हुए धारा—133 दं0प्र0सं0 की कार्यवाही किए जाने की प्रार्थना की गयी, जिसके अनुक्रम में दिनॉक—01—02—2019 को आदेश अवर न्यायालय द्वारा पारित करते हुए निगरानीकर्ता को विवादित सार्वजनिक मार्ग से अतिक्रमण हटाकर आवागमन सुनिश्चित करने के लिए थानाध्यक्ष को आदेशित किया गया, उपरोक्त आदेश से क्षुब्द्ध होकर निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष ने दाण्डिक निगरानी 153/2019 न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश/विषेश न्यायाधीश पॉस्को कक्ष संख्या—01 देवरिया के समक्ष योजित की जिसमे दिनॉक—15—07—2022 को निगरानी न्यायालय द्वारा आदेश पारित किया गया ।

13— उल्लेखनीय है कि विद्वान अवर न्यायालय द्वारा अपेक्षित आदेश दिनॉकित—30—12—2024 निगरानी संख्या—153/2019 में निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक—15—07—2022 के अनुक्रम मे परित किया गया है तथा उक्त आदेश के प्रकाश मे ही वर्तमान न्यायालय को अपेक्षित आदेश पर विचार करना है। इस सम्बन्ध मे पत्रावली पर उपलब्ध निगरानी न्यायालय के आदेश दिनॉकित—15—07—2022 मे संबंधित न्यायालय

.................9/—

ने वर्तमान निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष की निगारानी स्वीकार करते हुए अवर न्यायालय को पुनः साक्ष्य लेकर दोनो पक्षों को सुनवाई का अवसर प्रदान कर धारा–137 व 138 दं0 प्र0 सं0 के अन्तर्गत कार्यवाही किए जाने हेतु आदेशित किया गया था।बहस के दौरान निगरानीकर्ता के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया कि आदेश दिनॉकित–15–07–2022 के पश्चात् विद्वान अवर न्यायालय ने निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान न करते हुए अपेक्षित आदेश पारित किया गया है, इस सम्बन्ध मे संबंधित मूल पत्रावली के अवलोकन से यह विदित होता है कि आदेश दिनॉकित–15–07–22 के अनुक्रम में पत्रावली साक्ष्य वादी/प्रतिपक्षी हेतु नियत की गयी। दिनॉक–22–11–2023 को आवेदक/प्रतिपक्षी न्यायालय के समक्ष उपस्थित था, परन्तु निगरानीकर्ता गैर हाजिर रहा जिसके कारण उसे साक्ष्य हेतु एक अन्तिम अवसर प्रदान किया गया। दिनॉक–23–11–2023 के आदेशानुसार द्वितीय पक्ष/निगरानीकर्ता द्वारा अपना साक्ष्य प्रस्तुत किए जाने का अंकन है तथा पत्रावली शेष साक्ष्य हेतु नियत की गयी। दिनॉक–12–12–2023 के आदेशानुसार निगरानीकर्ता धनेश की ओर से साक्ष्य पूर्ण होने का अंकन है, जिसके पश्चात् आवेदक पक्ष की ओर से प्रेषित साक्षियों के बयान अंकित किए गये व दिनॉक–07–02–2024 को आवेदक/प्रतिपक्षी की ओर से गवाह जितेन्द्र कुमार का बयान व जिरह अंकित किया गया तथा पत्रावली बहस हेतु नियत की गयी। आदेश दिनॉकित–18–04–2024 के अनुसार निगरानीकर्ता द्वारा अपनी ओर से लिखित बहस व अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत किया गया। तत्पश्चात् अग्रिम तिथि पर लिखित बहस के आधार पर पत्रावली आदेशार्थ नियत की गयी।इस सम्बन्ध मे अवर न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह भी विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने दं0 प्र0 स0 की धारा–137 के अन्तर्गत जॉच किए जाने के उद्देश्य से सम्बन्घित राजस्व निरीक्षक से विवादित स्थल की स्थलीय आख्या मय नक्शा नजरी भी मगॉये जाने हेतु भी आदेशित किया था । संबंधित लेखपाल की रिपोर्ट मय नक्शा नजरी संबंधित अवर न्यायालय को प्राप्त हुई। अतः उपरोक्त समस्त परिस्थितियॉ यह इंगित करती है कि निगरानी न्यायालय के आदेश दिनॉकित–15–07–2022 के अनुक्रम में तथा दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा–137 व 138 के अनुरूप विद्वान अवर न्यायालय द्वारा दोनो पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया तथा स्वयॅ भी मौके की जॉच आख्या प्राप्त कर दोनो पक्षकारों को सुनने के उपरान्त अपेक्षित आदेश पारित किया गया है।

14— अपेक्षित आदेश दिनॉक— 30—12—2024 के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त मे विद्वान अवर नयायालय ने दोनो पक्षकारों की ओर से प्रेषित साक्ष्य का परिशीलन करते हुए तथा मौके की आख्या मय नक्शा का अवलोकन किए जाने के पश्चात् तथा स्वयॅ भी स्थलीय निरीक्षण कर स्पॉट मेमो तैयार करने के उपरान्त अपेक्षित आदेश पारित किया गया है।

15— निगरानीकर्ता ने बतौर द्वितीय पक्ष अपने लिखित जवावदेही दिनॉकित— 29—03—2019 में यह कथन किया है कि उसके द्वारा अपनी भूमिधरी की आराजी में उसका मकान, सहन, टीन—शेड, नॉद, खूॅटा, स्थित है तथा विवादित भूमि ना तो कभी सार्वजनिक रास्ता रहा है न आज है। विचारण के दौरान निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष की ओर से आराजी संख्या—160/0.024 हे0 को अपनी स्वयॅ को भूमिधरी होना बताया है तथा उसी मे अपनी मकान सहन, नॉद, खूटा आदि स्थित होने का भी उल्लेख किया है। पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व निरीक्षक की आख्या दिनॉकित—08—10—2024 में विवादित रास्ता गाटा संख्या—161/2.088 हे0 आबादी श्रेणी 6(2) डीह भूमि मे स्थित होना उल्लिखित किया है तथा यह भी स्पष्ट किया है कि गाटा संख्या—160/0.024 हे0 जो संक्रम्रणीय भूमिधर की आराजी है, मे विवादित रास्ता स्थित नहीं है। स्पष्ट है कि उपरोक्त आख्या दिनॉकित—08—10—2024 के विरूद्ध निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी तथा ना ही इस हेतु कोई समय की मॉग की गयी है।निगरानी के पैरा—13 मे इस सम्बन्ध मे जो कथन निगरानीकर्तागण द्वारा किए गये है, उनके प्रकाश मे राजस्व निरीक्षक द्वारा प्रेषित नक्शा नजरी दिनॉकित—08—10—2024 के अवलोकन से यह विदित होता है कि उक्त नक्शे मे विवादित रास्ता गाटा संख्या—161 के पश्चिम् स्थित सिरे पर होने का उल्लेख किया है तथा यह रास्ता आराजी संख्या—160 मे स्थित होना नहीं पाया गया है।

16— अतः उपरोक्त परिचर्चा से यह विदित होता है कि विद्वान अवर न्यायालय ने अपेक्षित आदेश निगरानी न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनॉकित—15—07—2022 के अनुक्रम में पारित किया है। पक्षकारों को साक्ष्य प्रस्तुत करने का सम्पूर्ण अवसर प्रदान कर स्वयॅ भी मौंके की जॉच कर तथा राजस्व निरीक्षक की आख्या मय नक्शा नजरी प्राप्त कर पारित किया गया है, जॉच आख्या आख्या के विरूद्ध निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा अवर न्यायालय के समक्ष कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की गयी है तथा प्रश्नगत निगरानी में भी निगरानीकर्ता द्वारा आराजी नं0—160 व 161 के स्वामित्व के सम्बन्ध मे

..................11/—

कोई कथन नहीं किया है। मात्र इस सम्बन्ध मे निगरानी मे यह कथन कर देने से की निगरानीकर्ता के किसी सार्वजनिक रास्ते पर अतिक्रमण नहीं किया गया है, मूल पत्रावली पर उपलब्ध समस्त मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्य से इतर जाकर यह निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता कि विवादित स्थल सार्वजनिक रास्ता नहीं है, जिसपर निगरानीकर्ता/द्वितीय पक्ष द्वारा कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है।

17– अतः उपरोक्त परिचर्चा के आधार पर न्यायालय विद्वान अवर न्यायालय द्वारा पारित आदेश मे कोई अनियमितता, अशुद्धता व अवैधानिकता नहीं पाता है तथा निगरानी स्वीकार कर अपेक्षित आदेश खण्डित किए जाने योग्य नहीं है।

<u>आदेश</u>

आपराधिक निगरानी संख्या–03/2025, धनेश आदि –बनाम– उत्तर प्रदेश राज्य आदि निरस्त की जाती है। विद्वान उप जिला मजिस्ट्रेट, तहसील सलेमपुर, थाना–खुखुन्दू, जिला देवरिया द्वारा वाद संख्या–5736/2022, कम्पयूटरीकृत वाद सं0 टी–202205200205736, सर्वजीत –बनाम– धनेश आदि, अन्तर्गत धारा–133 दं0प्र0 सं0 में पारित आपेक्षित आदेश दिनांकित– 30–12–2024 पुष्ट किया जाता है। इस आदेश की प्रति संबंधित अवर न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न कर अविलम्ब संबंधित अधीनस्थ न्यायालय को प्रेषित की जाय। बाद आवश्यक कार्यवाही नियमानुसार निगरानी की पत्रावली दाखिल दफ्तर हो।

ह0/–
(छाया नैन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–01, देवरिया

<u>दिनॉक/ देवरिया</u>
फरवरी 12, 2025

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनॉकित एवं उद्घोषित किया गया ।

ह0/–
(छाया नैन)
अपर सत्र न्यायाधीश,
कक्ष सं0–01, देवरिया

<u>दिनॉक/ देवरिया</u>
फरवरी 12, 2025

Digitally signed by CHHAYA NAIN
Date: 2025.02.12 16:43:57 IST
Reason: Judgement
Location: District and Sessions Court no 1